

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा0पत्र/52/2020

यूको बैंक शाखा कुम्हेर गेट जरिये प्राधिकृत अधिकारी,

बनाम

....प्रार्थी / प्राधिकृत अधिकारी

1-मै0 अभिषा इलैक्ट्रिकल्स प्रो. श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निकट जैन मन्दिर, वासन गेट भरतपुर

2-श्री भगवान सिंह पुत्र मनोहर सिंह प्लॉट नं. 150 शास्त्री नगर भरतपुर

.....अप्रार्थी.ऋणी

.....अप्रार्थी गारन्टर



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से कब्जा दिलाये जाने हेतु।

आदेश

दिनांक 6.7.2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ऋणी ने दिनांक 28.8.2014 को प्रार्थी से 600000/-रुपये की ऋण सुविधा स्वीकृत कराई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 150 शास्त्री नगर भरतपुर स्थित है कुल क्षेत्रफल 138.72 वर्ग फुट जिसके उत्तर में -मकान नं. 142, दक्षिण में- 20 फुट रोड़, पूर्व में- मकान नं. 151 पश्चिम में- मकान नं. 149 को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था।

अप्रार्थीगण ऋणीयों के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि समय अवधि में जमा नहीं कराई गई जिसके कारण अप्रार्थीगण/ऋणीयों के खाता को दिनांक 30-11-2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30-11-2019 तक 608751/-रुपये व ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थीगण/ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 30-11-2019 अप्रार्थीगण/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई। बैंक द्वारा ऋण

.....2

(2)

प्रा0पत्र / 52 / 2020
यूको बैंक शाखा कुम्हेर गेट बनाम मै0 अग्निषा इले0वगे.

राशि एवं देय ब्याज राशि को अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी बैंक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेते समय बैंक को पुलिस की सहायता भी उपलब्ध कराई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0/ऋणी ने उपर्युक्त आवासीय सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया। तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी/अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणीयों के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। अस्तु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 150 शास्त्री नगर भरतपुर स्थित है कुल क्षेत्रफल 138.72 वर्ग फुट जिसके उत्तर में -मकान नं. 142, दक्षिण में- 20 फुट रोड़, पूर्व में- मकान नं. 151 पश्चिम में- मकान नं. 149 को स्थित है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था का भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधी अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकता अनुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।



(लोक बंधु)

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर